



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

E-mail ; [kv2roorkee@gmail.com](mailto:kv2roorkee@gmail.com) / website : [www.kv2roorkee.ac.in](http://www.kv2roorkee.ac.in)

Ph. No. 01332-278899 (O) / Fax : 01332-275599

**केन्द्रीय विद्यालय न० २, बी० ई० जी० एण्ड सी० रुड़की :-  
२४६६७ जिला – हरिद्वार**

KENDRIYA VIDYALAYA NO.2, BEG & C ROORKEE- 247667

DISTT : HARIDWAR.

School No. 09296

Affiliation No. 3500032

## फर्मों के पंजीकरण हेतु सूचना

दिनांक 31.01.2019

केन्द्रीय विद्यालय, रुड़की में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई जैसे विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण एवं सामग्री, पी.ए. सिस्टम, स्टील एवं लकड़ी का फर्नीचर, सफाई उपकरण एवं सामग्री, संगीत उपकरण एवं सामग्री भवन निर्माण, पुताई पेंटिंग एवं हार्डवेयर सामग्री, स्टेशनरी, इंकजेट प्रिंटर एवं डिजिटल कैमरा प्रिंटिंग कम्प्यूटर व इसकी एक्सेसरीज़, चिल्ड्रन सम्बन्धी उपकरण की खरीद कम्प्यूटर के सामान, ए.एम.सी. स्मार्ट बोर्ड, ब्लेक बोर्ड/ग्रीन बोर्ड फैब्रिकेशन ऐल्यूमीनियम का कार्य सैनेटरी का सामान, बिजली के उपकरण एवं अन्य सामान आउट सॉर्सिंग ए.सी. टी.वी. आदि हेतु सेवाएं देने जी.एस.टी के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म दिनांक 02.02.2019 से 15.03.2019 तक पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकती है।

## पंजीकरण सम्बन्धी दिशा निर्देश

1. विद्यालय द्वारा विभिन्न जिनका वर्णन ऊपर दिया गया है, आदि सामाग्रियों का क्रय किया जाना है।
2. विद्यालय में एजेंसी के माध्यम से विभिन्न सेवाएं ली जाती हैं जैसे— सुरक्षा कर्मी सफाई कर्मी, माली, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि।
3. फर्म अपने लेटर पर मात्र उसी वस्तु या सेवा हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन करेंगे जिसमें वे मुख्य रूप से डील करते हो।  
अर्थात् विद्यालय द्वारा जनरल ऑर्डर सप्लायर का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. फर्म का जी.एस.टी में पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा पंजीकरण की फोटो प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
5. अनुभव प्राप्त फर्म को विद्यालय द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी। अतः फर्म अपने अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज भी आवेदन के साथ लगाएं।
6. फर्म पैन कार्ड की प्रति भी संलग्न करें।
7. फर्म द्वारा पंजीकरण करवाने का आशय विद्यालय द्वारा फर्म को क्रयादेश या कोटेशन निर्गत करने की बाध्यता नहीं है। विद्यालय अपने विवेकानुसार चुनी गयी फर्मों को ही कोटेशन प्रेषित करेगा।
8. पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रुड़की में पंजीकृत। त्वरित सेवा (स्पीड पोस्ट)। हस्तगत जमा किये जा सकते हैं।
9. जनरल ऑर्डर सप्लायर अपना पंजीकरण ना कराये।
10. आउट सॉर्सिंग सर्विस देने वाली फर्म को उत्तराखण्ड के पसारा एक्ट में पंजीकरण होना आवश्यक है।

प्राचार्य